पंचायत निगरानी सं0 25/2024 (2024/107)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 25/2024
जीसीएमएस सख्या – (2024/107)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री नाथुराम जाति ब्राह्मण उम्र 47 वर्ष निवासी चाबा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. रावलचंद पुत्र चुन्नीलाल
2. कंवरलाल पुत्र सोहनराम
   सभी जातियान सोनार निवासीगण ग्राम चाबा, तहसील शेरगढ, जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत चाबा जरिये सरपंच/सचिव, पंचायत समिति, शेरगढ।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व संकल्प सं. 03 दिनांक 05.06.2002 जिसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा मिसल सं. 95 पट्टा सं. 49 दिनांक 01.06.2005 को पट्टा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब, श्री भरत बूब (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (अप्रार्थी संख्या 1–2) उपस्थित।

–आदेश– **दनांक : 22.05.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत चाबा, पंचायत समिति शेरगढ द्वारा मिसल नंबर 95 से जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 01.06.2005 व संकल्प सं. 03 दिनांक 05.06.2002 को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 24.07.2023 को पेश की गई है।

2. निगरानी प्रकरण दर्ज ... को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री कानाराम ... द्वारा ... ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत चाबा से ... संबंधित रिकॉर्ड मंगवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

3. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मीमों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने ग्राम चाबा में एक भूखण्ड दिनांक 05.04.1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्री नारायणराम से क्रय किया था, जिसके उत्तर में आमरास्ता, दक्षिण में सडकनुमा रास्ता, पूर्व में भीमसिंह की जायदाद तथा पश्चिम में रास्ता आया हुआ है। पश्चिम में 30 फीट चौडा आम रास्ता लंबे समय से चल रहा है। प्रार्थी के भूखण्ड पर तीन मंजिला मकान निर्मित है तथा ग्राउण्ड फ्लोर में तीन दुकाने निर्मित है। 10 दिन पहले पश्चिम के रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 ने केबिन रखकर अतिक्रमण की कोशिश करने पर ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया गया। तब अप्रार्थी 1, 2 ने बताया कि उनके नाम ग्राम पंचायत चाबा द्वारा जारी पट्टा विलेख है। जानकारी करने पर रास्ते की भूमि पर गलत रूप से पट्टा जारी करने की जानकारी प्राप्त हुई। नियमानुसार आम रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत चाबा ने बताया कि ग्राम पंचायत से पट्टा जारी नहीं हुआ है, पूर्व सरपंच ने गलत जारी किया है। पट्टे की भूमि खाली है, कोई निर्माण ही नहीं है तथा खाली भूखण्ड पर मात्र 200/— रूपये का शुल्क लेकर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जावे तथा अप्रार्थी 3 द्वारा संकल्प सं. 3 दिनांक 05.06.2002 से अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष में मिसल सं. 95 में जारी पट्टा सं. 49 दिनांक 01.06.2005 को खारिज किया जावे। निगरानी जानकारी होने पर तुरंत पेश कर दी है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पट्टे में संकल्प सं. 3 दिनांक 05.06.2002 का हवाला दिया है परंतु ग्राम पंचायत चाबा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत में उक्त संकल्प का रिकॉर्ड नहीं है। सडक का पट्टा नहीं दिया जा सकता। पट्टा 12 फीट गुणा 24 फीट का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दिया है, जो गलत है। प्रार्थी द्वारा 1986 में खरीदे गये भूखण्ड के पश्चिम में आम रास्ता रजिस्ट्री में दर्शाया है तथा मेरे रास्ते की भूमि पर फर्जी पट्टा जारी किया है। संकल्प दिनांक 05.06.2002 को पारित करना बताया है लेकिन पट्टा तीन वर्ष बाद जारी किया है। इतनी अवधि तक पट्टा लंबित रखने के क्या कारण रहे है? इस पट्टे की शिकायत उपखण्ड अधि[illegible]ढ को भी की गई है। मूल मिसल पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः [illegible] निरस्त किया जावे।

6. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री [illegible] ने बहस करते हुए तर्क किया कि ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड रखना तथा प्रस्तुत करना, राज्य सरकार का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

मेनेजमेंट का मामला है। प्रत्येक माह 5 व 20 तारीख को ग्राम पंचायत की बैठक होती है, जिसका अंकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर में होता है। अतः ग्राम पंचायत पत्रांक 289 दिनांक 18.02.2025 से भेजी गई रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश पट्टा विलेख में पडौस दिखाए गये है। ग्राम पंचायत को अपनी भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को कोई पट्टा जारी नहीं किया है। प्रार्थी के पक्ष में भूमि विक्रय की रजिस्ट्री शून्य दस्तावेज है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। निगरानी दुर्भावना से पेश की गई है। सरपंच के बदलने से वर्तमान सरपंच, अप्रार्थी के खिलाफ है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त बहस के खण्डन में, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने रिबटल बहस में कथन किया कि रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार ही नहीं है। मौके पर रास्ता नहीं होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थी के पक्ष में 30 वर्षों से भी अधिक अवधि का सेलडीड (रजिस्टर्ड) है, जो साक्ष्य में पेश किया है। ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड नहीं भेजने बाबत, हमने कोई मेनेजमेंट नहीं किया है। ग्राम पंचायत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा नहीं दे सकती। अतः पट्टा खारिज किया जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत कथनों, तर्कों पर मनन किया। हमारा विनिश्चय इस प्रकार है:–

a) निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चाबा, पंचायत समिति, शेरगढ द्वारा मिसल सं. 95, पट्टा सं. 49 दिनांक 01.06.2005 को निरस्त करने हेतु पेश की है, जो ग्राम पंचायत चाबा द्वारा पारित संकल्प सं. 03 दिनांक 05.06.2002 के अनुसरण में जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत चाबा ने पत्रांक 227 दिनांक 14.09.2023 से मूल पट्टा बुक, सामान्य रोकड पुस्तिका दिनांक 05.06.2002 से 02.03.2007 तक इस न्यायालय में भेजते हुए सूचित किया कि इस पट्टे से संबंधित पत्रावली, रसीद बुक, मिसल दर्ज रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, जिस पर पत्रांक 20 दिनांक 23.01.2025 से प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 05.06.2002 से संबंधित बैठक कार्यवाही ग्राम पंचायत चाबा का रिकॉर्ड मंगवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में ग्राम पंचायत चाबा ने पत्रांक 289 दिनांक 18.02.2025 से अवगत कराया है कि मांगा गया बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पट्टा रजिस्टर सं. 02 में पट्टा सं. 01 से 50 तक का अवलोकन किया। ये सभी पट्टा संकल्प सं. 03 दिनांक 05.06.2002 के अनुसरण में जारी किये है, परंतु इन में से किसी भी पट्टे पर ग्राम सेवक एवं सचिव, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नहीं है। निगरानीधीन पट्टा सं. 49 के पट्टे की कार्बन प्रति पट्टा रजिस्टर में उपलब्ध है, जिसमें मिसल सं. 98 ओवर राईटिंग से लिखी हुई है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा की फोटोकॉपी में मिसल सं. 95 अंकित है। अप्रार्थी ने मूल पट्टा विलेख पेश नहीं किया है। यह पट्टा सं. 49 दिनांक 01.06.2005 को जारी करना बताया है, जिस पर ऑवर राईटिंग से दिनांक 01.02.2005 अंकित किया है। पट्टे पर सिर्फ सरपंच, ग्राम पंचायत, चाबा, एक साक्षी व रावलचंद (अप्रार्थी सं. 1) के हस्ताक्षर है। सचिव, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर पट्टे पर नहीं है। यह पट्टा 200/– रूपये लेकर जारी करना बताया है तथा प्रारूप 23 में जारी है तथा रसीद सं. 54 दिनांक 01.02.2005 लाल स्याही से अंकित है। इसके पडौस में पूर्व में निगरानीकर्ता के पिता नाथुराम पुत्र किसनाराम ब्राह्मण अंकित है। उत्तर व दक्षिण में रास्ता तथा पश्चिम में राणीदान सोनी अंकित है। पूर्वी भुजा 15 फीट, पश्चिमी भुजा 12 फीट, उत्तरी भुजा 24 फीट, दक्षिण भुजा 24 फीट, कुल नाप– 324 वर्गफुट बताया है।

केश बुक में दिनांक 01.02.2005 को रसीद सं. 01 से 56 तक पट्टा आवेदन शुल्क से इकजाई राशि 13480 रूपये जमा करना बताया है लेकिन पट्टा संख्या अंकित नहीं है।

b) ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का निष्पादन राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 एवं इस एक्ट के अंतर्गत बने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत ही करने का प्रावधान है। जिसमें आबादी भूमि का विक्रय, नीलामी, रियायती दरों पर आवंटन एवं नियमितीकरण इत्यादि के माध्यम से करना होता है। हस्तगत पट्टा सं. 49 प्रपत्र 23 में जारी किया गया है तथा मात्र 200 रूपये शुल्क लेकर जारी करना बताया है, जो नियम 157 के तहत 1996 के नियम जारी होने से 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित आवास गृहों के मामलों में लागू होता है। इस प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करने से पूर्व 1996 के उक्त नियमों के नियम 145 से [illegible] में विहित प्रकिया की पालना की जाना आवश्यक है, जिसमें आवेदक [illegible] नियमन हेतु आवेदन करना, ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] कर मौका निरीक्षण हेतु नियम 145 के तहत एक कमेटी का गठन करना, [illegible] निरीक्षण कर नक्शा तैयार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रिपोर्ट तैयार करके ग्राम पंचायत को पेश करना, ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित कर पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियां कम से कम 30 दिन की अवधि के पश्चात् आमंत्रित करना, आक्षेपों का पंचायत द्वारा निपटारा करना तथा पट्टा जारी करना मुख्य रूप से है। उक्त प्रकिया पूरी करने हेतु प्रत्येक प्रकरण की एक मिसल (पत्रावली) खोली जाकर रजिस्टर में दर्ज की जाती है तथा पट्टा जारी करने हेतु अपनाई गई प्रकिया का क्षण–क्षण का लेखा जोखा पत्रावली की आदेशिका में सरपंच व पंचायत सचिव द्वारा संधारित किया जाना आवश्यक है तथा इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पारित समस्त संकल्पों का उल्लेख ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है।

c) उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदनकर्ता को अपने पुराने आवासीय रूप के कब्जों का सबूतों द्वारा साबित करना आवश्यक है। खाली भूखण्डों का नियमन नहीं हो सकता।

उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि–

I. पट्टा जारी करने बाबत संधारित होने वाली मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

II. ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प सं. 3 दिनांक 05.06.2002 एवं अन्य वांछित प्रस्ताव पारित होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ग्राम पंचायत चाबा ने बैठक रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने की सूचना भेजी है।

III. विवादित पट्टा सं. 49 जारी करने हेतु अपनाई गई प्रकिया से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

IV. निगरानीधीन जारी पट्टा सं. 49 पर ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर ही नहीं है, जो कि नियमों के प्रावधानानुसार आवश्यक है।

V. अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा विवादित भूमि पर 50 वर्षों से अधिक पुराने आवासीय गृह निर्मित होने को कोई सबूत पेश नहीं किया है क्योंकि खाली भूखण्ड का नियम 157 के तहत मात्र 200 रूपये शुल्क लेकर नियमितीकरण नहीं किया जा सकता।

VI. ग्राम पंचायत द्वारा हस्तगत पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रकिया की पालना नहीं किया गया है।

VII. नियम 145 के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व त्रिसदस्यीय कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करने का प्रावधान है जो यह जांच करेगी कि पट्टा जारी

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

करने में जनसाधारण को उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी? हस्तगत प्रकरण में मुख्य आपत्ति यह है कि जहां पर पट्टा जारी किया है, वह भूमि सार्वजनिक रास्ता है, जो प्रार्थी के 30 वर्ष पुराने पंजीबद्ध दस्तावेज में अंकित है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करना आवश्यक था, परंतु इस प्रकरण में ऐसा करना रिकॉर्ड के अभाव में नहीं पाया जाता है तथा न ही अप्रार्थी ने कोई अभिलेख पेश किया है।

VIII. प्रार्थी ने भूखण्ड का पट्टा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जारी करना बताया है परंतु ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है। पट्टे में आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है। कम साईज होने मात्र से ही भूखण्ड को आवासीय नहीं माना जा सकता। प्रार्थी स्वयं के भूखण्ड की साईज की पूर्व–पश्चिम की भुजाएं भी कम लंबाई की है।

IX. अप्रार्थी ने प्रार्थी के दस्तावेज को शून्य बताया है परंतु इसे शून्य घोषित करने का कोई सबूत पेश नहीं किया। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर पुराना कब्जा हो सकता है, जिस बाबत कानूनी कार्यवाही करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है।

9. उपरोक्तानुसार अभिलेखीय/तथ्यात्मक एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार योग्य है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपाधीन पट्टा निरस्त योग्य है।

10. उपर्युक्त निष्कर्षानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत चाबा द्वारा पारित संकल्प सं. 3 दिनांक 05.06.2002 को निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार मिसल सं. 98 (95 Sic), पट्टा बुक सं. 2 में से जारी पट्टा सं. 49 दिनांक 01.06.2005/01.02.2005 बहक श्री रावलचंद पुत्र चुन्नीलाल व कंवरलाल पुत्र सोहनराज सोनी, नाप 324 वर्गफीट को अपास्त किया जाता है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 पट्टा प्राप्त करने बाबत पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अगर ऐसा आवेदन किया जाता है, तो ग्राम पंचायत, नियमों में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए आवेदनकर्ता के प्रकरण का छः माह की अवधि में निस्तारण करे।

11. निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त मूल अभि[illegible] पंचायत चाबा को पुनः लौटाया जावे।

12. पत्रावली बाद तामिल व [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested

13. निगरानी के साथ ही लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र व अन्य समस्त लंवित प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) • जोधपुर •

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:54:46 IST
Reason: SelfAttested